(20)

III/निग0/सतना/भू-रा0/2017/3540 128

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा पिता गजाधार काछी उम्र 66 वर्ष पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम बीरनई तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ....**निगराकार**

बनाम

1— रामसुंदर काछी पिता तनय देविया काछी साकिन बीरनई उम्र 60 वर्ष पेशा कृषिकार्य निवासी ग्राम बीरनई तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

2— शासन म0प्र0 द्वारा राजस्व निरीक्षण वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ....**गैर निगराकारगण**

आवेदक अभिभाषक श्री आर० आर० शुक्ला द्वारा पेश। 27.9.17

27.9.17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध कार्यालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान के प्रकरण क0 79ए12/16—17 में पारित सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 11.08.2017

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगराकार लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा पिता गजाधर काछी द्वारा मान्नीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है :—

1— यह कि गैर निगराकार क0 1 रामसुंदर तनय देविया काछी द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान के कार्यालय में संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत ग्राम बीरनई की आराजी क0 11 रकवा 0.554हे0 के सीमांकन बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

2— यह कि गैर निगराकार क0 1 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र अनुसार आवेदित आराजी क0 11 के सरहदी कास्तकारों को राजस्व निरीक्षण वृत्त सज्जनपुर द्वारा नियमानुसार सूचना न देकर दिनांक 19.06.2017 को आवेदन पत्र प्राप्त कर पंजीयन किया जाकर हल्का पटवारी को गठित दल के साथ कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाकर दिनांक 11.08. 2017 को सीमांकन के संबंध में उस भूमि के संलग्न भू—धारकों को कोई सूचना प्रदान किए बिना गैर निगराकार क0 1 द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पत्र की पुष्टि सीमांकन के संबंध में विहित प्रकिया का अनुपालन किए बिना ही सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

(20)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण III/निग0/सतना/भू—रा0/2017/3540 जिला—सतना

लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा/रामसुन्दर काछी

(1)	(2)	(3)
23.4-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीदास मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील रामपुर बघेलान के प्रकरण क्रमांक 79/अ—12/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	